न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी पुष्कर कुमार मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व दावा संख्याः— 141/2017

भगवानसिंह पुत्र रामसिंह जाति गूजर निवासी ग्राम सौनौठी तहसील रूपवास जिला भरतपुर

.....वादी

बनाम्

1. रामसिंह पुत्र टुन्डा जाति गूर्जर हाल निवासी सौनोठी—मृतक

1/1— समन्त कौर पत्नी रामसिंह		जाति गूजर निवापसी ग्राम सौनोठी
1/2— सुजान	पुत्रगण	तहसील रूपवास जिला भरतपुर
1/3— चरनसिंह	रामसिंह	
1/4— दरबो उर्फ दरबसिंह		
1/5—बल्ला उर्फ बलीचन्द		
1/6— हीरासिंह पुत्र रामसिंह		

1/7— सफेदी पुत्री रामसिंह पत्नी नत्थी जाति गूजर निवासी ग्राम कोड़ापुरा तहसील बयाना

1/8— कम्मो पुत्री रामसिंह पत्नी दरबसिंह जाति गूजर निवासी खेडयापुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर

1/9— मिथलेश पुत्री रामसिंह नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता समन्दर कौर पत्नी रामसिंह जाति गूजर निवासी ग्राम सौनोठी तहसील रूपवास

2— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपवास जिला भरतपुर

..... प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88—89—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री राजेन्द्रसिंह
   अभिभाषक वादी
2. श्री विजयसिंह कुन्तल
   अभिभाषक प्रतिवादी सं0
   1/2 लगायत 1/6

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांकः— 03.01.2018

वादी द्वारा दिनांक 10.05.2000 को ACEM रूपवास के समक्ष यह राजस्व दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय के साथ पेश किया कि गत आ0ख0नं0 193 मिन/0—19, 521 मिन/2—01, 522/1—14, 523/4—16, 524 मिन/1—16, 525 मिन/6—05, 526 मिन/4—00 किता—7 कुल रकवा 21 बीघा 11 बिस्वा स्थित ग्राम सौनोठी तहसील रूपवास पर वादी का कब्जाकाश्त सम्वत् 2010 से ताहाल है। वादी को यह आराजी अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुयी है। सम्वत् 2010 में वादी आराजी का जागीरदार विश्वेदार दर्ज है। प्रतिवादी का इस आराजी से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नही है। प्रतिवादी दूसरे गांव का रहने वाला व्यक्ति है जो रिश्ते में वादी का मामा लगता है। वादी की नाबालिगों का नाजायज लाभ उठाकर प्रतिवादी ने वादी के हक हकूको को मारने की गर्ज से खिलाफ कब्जा मौका व खिलाफ कानून आराजी को प्रतिवादी ने अपने नाम दर्ज रिकार्ड करा लिया। प्रतिवादी से जब इस गलत इन्द्राज को दुरस्त कराने को कहा तो वह टालमटोल करता रहा। दिनांक 13.04.2000 को प्रतिवादी ने वादी को वादी पर स्पष्ट धमकी दी कि वह वादी को काश्त नही करने देगा, तथा आराजी को दीगर व्यक्तिओं को रहनेवय मुन्तकिल करेगा।

अतः वादी द्वारा प्रार्थना की गई कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी का नाम कलभजन कर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी पर वादी के कब्जेकाश्त खातेदारी में हस्तक्षेप न करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर तलवी प्रतिवादीगण जरिये सम्मनों से की गयी। ACEM कोई रूपवास में प्रतिवादीगण के उपस्थित न्यायालय न आने पर दिनांक 01.05.201 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। वादी द्वारा अपने दावा के कथनों के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2055—2058 प्रदर्श—1, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2010 प्रदर्श—2 को पेश किया। मौखिक साक्ष्य में बयान वादी भगवानसिह PW-1 गवाह धंगे PW-2 गवाह भोला PW-3 पेश कर अपनी साक्ष्य समाप्त की। न्यायालय ACEM रूपवास द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दिनांक 201.05.2001 को दावा वादी स्वीकार निर्णित अिकया गया। इस एकपक्षीय निर्णय/डिक्री के विरूद्ध प्रा0पत्र आदेश—9 नियम—13 जा0दी0 पेश होने पर दिनांक 04.10.2001 को एक पक्षीय निर्णय/डिक्री दिनांक 21.05.2001 निरस्त की गयी व दावा पुनः वास्ते जवाबदावा हेतु नियत किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 12.06.2002 को जवाबदावा पेश किया कि वादी न्यायालय के समक्ष क्लीन हैन्ड से नही आया है। उसने दावा में यह कही भी अंकित नही किया कि उसके पिता की कब मृत्यु हुयी। वादी कब बालिग हुआ। वादी के पिता पर कुल कितनी जमीन थी। अब कितनी रह गयी। प्रतिवादी कब किस सन्—सम्वत् में गांव सौनोठी में आया। क्यों आया। वादग्रस्त आराजी पर वादी का कभी कब्जा काश्त नही रहा न आज है। वादी बहुत ही चतुर चालाक व्यक्ति है। प्रतिवादी रामसिंह सम्वत् 2012 से पूर्व गांव गजनुआ से रहता था। जो वादी का रिश्तेदार था। वादी के पिता ने प्रतिवादी रामसिंह को गाव सौनोठी बुलाया। प्रतिवादी रामसिं हगांव गजनुआ स्थित अपनी चल—अचल सम्पत्ति को बेच कर गांव सौनोठी आया। उसने अपने पैसे से गांव सौनोठी में आराजी खरीदी तथा उक्त क्रय भूमि पर प्रतिवादी

खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वादी ने हम प्रतिवादीगण को पक्षकार नही बनाया है। दावा वादी काबिज एवेटमेंन्ट के है। उन्होने दावा वादी को मय खर्चा खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

दिनांक 26.06.2002 को उभय पक्षों की उपस्थिति में न्यायालय ACEM रूपवास द्वारा निम्न तनकी कायम की गयीः–

1. आया ख0नं0 193 मिन, 521 मिन, 522 मिन, 523 मिन, 524, 525, 526 मिन कुल किता–7 कुल रकवा 21 बीघा 11 बिस्वा स्थित ग्राम सौनोठी तहसील रूपवास का कानूनन खातेदार व काबिज काश्तकार होने से वादी उक्त भूमि को अपनी खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है– ?

.....वादी

2. आया वादी विवादित भूमि का जागीरदार था।

.....वादी

3. आया वादी, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है?

.....वादी

4. आया दावा मियाद बहा रहे ?

.....प्रतिवादी

5. आया विवादित भूमि प्रतिवादी की क्रय की हुयी भूमि है ?

.....प्रतिवादी

6. दादरसी– ?

साक्ष्य वादी PW-1,2,3,4 व साक्ष्य प्रतिवादी DW-1,2,3,4 ACEM रूपवास द्वारा की गयी।

न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर, भरतुपर में मुन्तकिली प्रार्थना–पत्र पेश होने पर न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 29.6.2005 से प्रकरण इस न्यायालय को सुनवाई व निर्णय हेतु प्राप्त हुआ। दिनांक 22.10.2005 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलवी उभय पक्षकारान की गयी।

उभय पक्षकारान मय अभिभाषक उपस्थित न्यायालय आये। वादी द्वारा अप्रमाण्ति फोटोप्रति रिलीज डीड सं0 688/31.08.01, अप्रमाणित फोटोप्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2059–62 को पेश कया। प्रतिवादीगण द्वारा अप्रमाणित फोटोप्रति–मैडीकल प्रतिवादी सं01/4 दरबसिंह, 1/2 सुजान 1/5 बलीचन्द, 1/3 चरनसिंह दिनांक 14.01.2012 को पेश किया। जिसमें उन्हे 40% से अधिक Permanent Disabil बनाया गया है।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निगरानी आदेश दिनांक 13.01.2017 द्वारा प्रतिवादी सं0 1/6 हीरासिंह को प्रतिवादी सं0 1/1 To 1/4 की तरफ से राजीनामा पेश करने का बली सरपरस्त बताने पर दिनांक 30.08.2017 को प्रतिवादी सं0 1/2 To 1/6 का राजीनामा वाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकीवाईज निर्णय की विवेचना निम्न प्रकार हैः—

तनकी संख्या 1:— पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत् 2010 में गत ख0नं0 193 पर खुदकाश्त रामसिंह बल्द टुन्डा कौम गूजर का अंकन है। गत ख0नं0 521—522—523—524—525—526 पर अपठित पुत्र रामसिंह गूजर मालिक के कॉलम में तथा कृषक कालाम में खुदकाश्त मकबजा मालकान का अंकन है। जमींदपारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के प्रभावशील होने के सम्वत् 2016 की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2015 से 2018 में गत ख0नं0 193—521क—522—523—524—525—526 किता— 7 रकवा 21 बीघा 11 बिस्वा पर प्रतिवादी सं0—1 रामसिंह पुत्र टुन्डा गूजर खातेदार दर्ज है अर्थात यदि वादी भगवानसिह अथवा उसका पिता रामसिंह सम्वत् 2016 में जमींदार विश्वेदार होता तो उसका अंकन जमाबन्दी सम्वत् 2016 में होता। जो नही है। वादी ने मनगठन्त कथनों के आधार पर यह दावा पेश किया है। उसने अपना पारिवारिक वंश वृक्ष (सजरा) दावा में अंकित नही किया। पिता रामसिंह की मृत्यु किस तिथि/सन्/सम्वत् को हुयी। अंकित नही किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अथवा जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के प्रभावशील होने के समय वादी वादग्रस्त आराजी पर खुदकाश्त का कृषक था। ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश नही है। सम्वत् 2015 में ताहाल की नकल जमाबन्दियों (रिकार्ड ऑफ राईट्स) में प्रतिवादी बतौर खातेदार दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(43) के अनुसार एक कृषक के लिये उसका काश्त करना व लगान अदा करना आवश्यक तत्व है। वादी द्वारा अपनी काश्त की साक्ष्य में देय लगान की रसीदों को पेश नही किया है। प्रतिवादी सं0—1 के वारिस जो 40% से Permanent Diabil है की आराजी को हड़पने के लिये यह दावा पेश किया है की आराजी को हड़पने के लिये यह दावा पेश किया है। यदि वादी सम्वत् 2010 का काबिज काश्त है तो उसने इतने विकल्प से 2000—1953 = 47 वर्ष वाद यह दावा पेश किया है।

Web Copy, Not Official

माननीय राज0 उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त त्रॅ 2007(2) पेज 1284 के अनुसार–भूमि पर मात्र कब्जा धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी नही मिल सकती। जब तक यह साबित न हो जाये कि वादी धारा 5(43) के अभिप्राय के तहत एक काश्तकार है व लगान उसके द्वारा देय है। न्यायिक दृष्टान्त RBJ (18) 2011 पेज 388 के अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी नही दी जा सकती। न्यायिक दृष्टान्त RRD 1981 पेज 667 के अनुसार कब्जे के दावे सिविल कोर्ट में सुने जायेगे। जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के प्रभावीाल होते समय वादी कब्जेकाश्त में होना चाहिये।

A. Person not in possession on the date of commenement of the act could not obtain Khatedari rights. 1988 RRD 4621 खातेदारी अधिकार साबित करने के लिये लगान का भुगतान, कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग तथा भूमि पर लगातार कब्जा स्थापित करना वादी को आवश्यक है। खातेदारी अधिकार एक विधिक अधिकार है। यह निरंकुश, अभिच्छेदय, अपरिर्काशील अथवा चिरस्थाई नही है। प्रतिवादी पिछले 40 वर्ष से अभिलिखित खातेदार है। वादी किसी भी समय अपनी इच्छा से वाद पेश नही कर सकता। RRT 2003 (2) पेज 1090, वादी वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी नही है। यह तनकी विरूद्ध वादी के निर्णित की जाती है।

तनकीक संख्या 2:– वादी अथवा उसका पिता वादग्रस्त आराजी का कभी भी भागीदार नही रहा। तनकी संख्या– 1 में पूर्ण विवेचन हो चुकी है। जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के प्रभावशील होते समय के रिकार्ड ऑफ राईट्स में वादी अथवा उसके पिता के नाम भूमि अधिकारी के कॉलम में कोई प्रविष्ठी नही है। यह तनकी विरूद्ध वादी के निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3:– जहा वादी की खातेदारी ही वादग्रस्त आराजी पर प्रमाणित नही है तो अभिलिखित खातेदारों प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी किसी भी प्रकार की कोई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी नही है। यह तनकी भी विरूद्ध वादी के निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4:– राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की तृतीय अनुसूली में यद्यपि धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश करने की कोई मियाद निर्धारित नही है। परन्तु खातेदारी एक विधिक अधिकार है। चालीस वर्ष वाद वादी द्वारा

खातेदारी का दावा करना सन्देहात्मक है। वादी किसी भी समय अपनी इच्छा से दावा पेश नही कर सकता। खातेदारी अधिकार निरंकुश, अभिच्छेदय अपरिवर्तनशील अथवा चिरस्थाई नही है।

तनकी सं0 5:– प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा की मद सं0 13 में अंकित किया हे कि वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादीगण के पिता रामसिंह ने क्रय किया तथा पटवारी ने उक्त क्रय के आधार पर राजस्व अभिलेख में प्रविष्ठी की। यद्यपि अपने कथन के समर्थन में प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा नकल बयनामा अथवा नकल दा0खा0 को पेश नही किया है। तद्यपि प्रतिवादीगण के पिता रामसिंह पुत्र टुन्डा के नाम सम्वत् 2015–18 की नकल जमाबन्दी में बतौर खातेदार प्रविष्ठी है। वादी के नाम सम्वत् 2012 से सम्वत् 2018 की किसी जमाबन्दी में बतौर मौरूसी/गैर मौरूसी/ खुदकाश्त दर्ज नही है। न ही काश्त दर्ज है। यह तनकी विरूद्ध वादी के निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 6:– प्रसतुत राजीनामा राजस्व अभिलेख से प्रमाणित नही है। स्वीकार योग्य नही है। वादी किसी भी प्रकार का कोई अन्य अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी नही है।

उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

अतः आज्ञा है किः–

दावा वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।दा0द0 हो।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
भरतपुर

निर्णय आज दिनांक 03 जनवरी 2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official